न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :— 82 / 2019

1. धन्नालाल आयु 60 वर्ष आ0 नाथ्या जाति खटीक निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी (राज0)।

—प्रतिवादी

वाद—अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश नागर

—: आदेश :—

दिनांक—01.10.2019

1. वादी की ओर से उक्त वादपत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का दिनांक 03.06.2019 को पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 785 पुराना 701 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1187 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में विस्थित है। जिसमें वादी खातेदार काश्तकार है, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खातेदार कॉलम में सरकार राहिन व मु0बि0क0 दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जो पूर्वजों से चली आ रही है

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

किन्तु पूर्व में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश बिना किसी आधार के सरकार राहिन व मु0बि0क0 का अंकन कर दिया गया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी व उनके पूर्वज राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले से ही काबिज काश्त है तथा वादी व पूर्वज खातेदार काश्तकार के रूप में नाम दर्ज चला आ रहा है जो आज भी बदस्तुर चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 15 एएए के तहत यदि कोई काश्तकार 1955 से पूर्व यदि तथाकथित भूमि पर काबिज काश्त होता है तो उसे खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है तथा उसे उस भूमि पर खातेदार घोषित किया जाना चाहिये। वादी ने राजस्व शिविरो में एवं राजस्व कर्मचारियों से वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में सरकार राहिन व मु0बि0क0 को हटाने के लिये बार–बार प्रार्थना पत्र दिये लेकिन वादी को खातेदार दर्ज नही किया गया। वादी ने दिनांक 20.05.2019 को प्रतिवादी से कहा कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अपने आप को बतौर खातेदार के रूप में दर्ज करने के लिये निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा भूमि में कोई अधिकार नही है, आपको भूमि से बेदखल किया जावेगा। यही वाद कारण है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार के कॉलम में दर्ज सरकार राहिन व मु0बि0क0 की गलत पृविष्टियों को विलोपित किया जावे इस आश्य कि विधिवत घोषणा की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे तथा इसी आश्य की डिक्री पारित की जावें।

2. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील वादी ने साक्ष्य में धन्नालाल, बृजमोहन, व लक्ष्मीनारायण के शपथ–पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2022–41 प्रदर्श–1, मिलान क्षैत्रफल ग्राम अरनेठा प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–3, सेटलमेन्ट मिलान क्षैत्रफल वर्ष 2022–41 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 1996–2000 प्रदर्श–5 पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2022–41 में वादी के पिता का नाम खुद काश्त के रूप में दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार वादी व उनके पूर्वज राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व उक्त भूमि पर खुद काश्त के रूप में दर्ज है। संलग्न मिलान खसरा क्षैत्रफल सम्वत् 2022–41 व 1995–2015 ग्राम अरनेठा से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नं0 के हाल नम्बर 1187 है जो वादी की खातेदारी में दर्ज है। खाते में दर्ज सरकार, राहिन व मु0बि0क0 के सबंध में तहसीलदार के0 पाटन द्वारा कोई आपत्ति या राहिन होने के सबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 785 पुराना 701 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1187 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में दर्ज सरकार, राहिन व मु0बि0क0 के अंकन को विलोपित करे एवं वादी को स्वतंत्र रूप से खातेदार दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

1/10/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत इजलास–
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

धन्नालाल **V/S** राज0 राज्य

वाद–घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :: 82/2019

वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से ..... की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 01.10.19 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 785 पुराना 701 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1187 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में दर्ज सरकार, राहिन व मु0बि0क0 के अंकन को विलोपित करे एवं वादी को स्वतंत्र रूप से खातेदार दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग..... ... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल वादी तक .....ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 01.10.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.11.18 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: